Toppersnotes®

Unleash the topper in you

UGC-NET

इतिहास

NATIONAL TESTING AGENCY (NTA)

पेपर - 2 || भाग - 1

प्राचीन भारत का इतिहास

SIERRA INNOVATIONS

UGC NET

इतिहास

क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
	प्राचीन भारत का इतिहास	
1.	संकल्पनाएँ, विचार और शब्दावलियाँ	1
2.	पुरातात्विक स्त्रोत	22
3.	साहित्यिक स्त्रोत	30
4.	विदेशी विवरण	40
5.	पशुचारण और खाद्य उत्पादन	42
6.	ताम्र पाषाण काल	47
7.	सिन्धु घाटी सभ्यता	52
8.	वैदिक एवं उत्तर–वैदिक काल	60
9.	महाजनपद काल	70
10.	धार्मिक क्रान्ति	71
11.	राज्य से साम्राज्य तक मगध का उत्थान	83
12.	मौर्य साम्राज्य	87
13.	साम्राज्यों का अन्त और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव	99
14.	मध्य एशिया के साथ सम्पर्क तथा उसके परिणाम	112
15.	गुप्तकाल	118
16.	गुप्तोत्तर काल	134
17.	दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय	143
18.	पूर्व मध्यकाल के क्षेत्रीय राजवंश	168
19.	प्राचीन भारत के विविध पहलू	191
20.	परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न	213

प्रिय विद्यार्थी, टॉपर्सनोट्स चुनने के लिए धन्यवाद।

नोट्स में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करने लिए टॉपर्स नोट्स ऐप डाउनलोड करे।

ऐप डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश देखे :-

ऐप इनस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या गूगल लेंस से QR स्कैन करें।

टॉपर्सनोट्स एग्जाम प्रिपरेशन ऐप

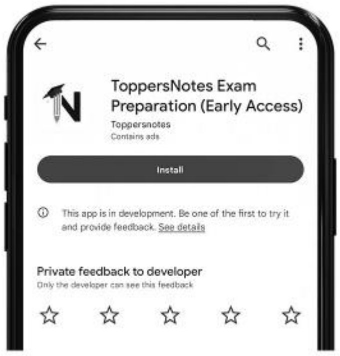

टॉपर्सनोट्स ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से।

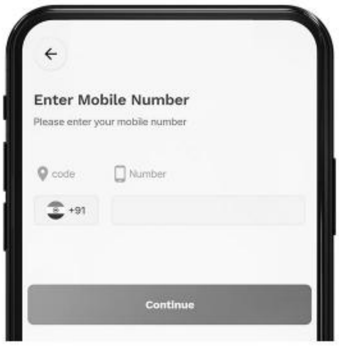

लॉग इन करने के लिए अपना **मोबाइल नंबर** दर्ज करें।

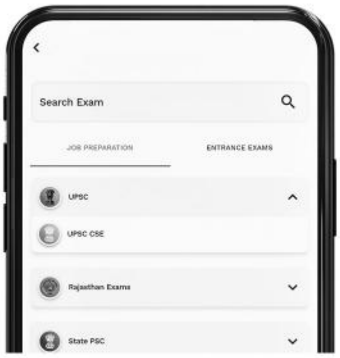

अपनी **परीक्षा श्रेणी** चुनें।

सर्च बटन पर क्लिक करें।

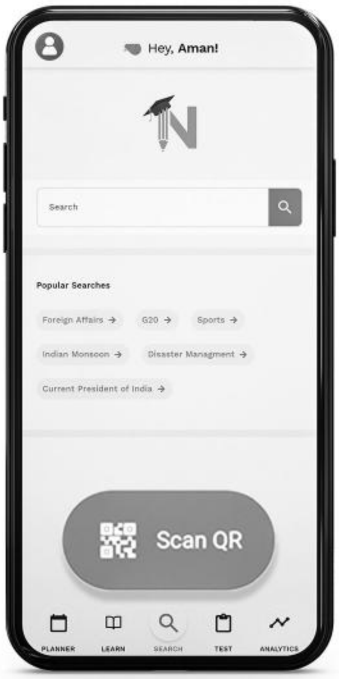

SCAN QR पर क्लिक करें।

किताब के **QR कोड को स्कैन** करें।

- सोल्युशन वीडियो
- डाउट वीडियो
- कॉन्सेप्ट वीडियो

- अतिरिक्त पाठ्य-सामग्री

- विषयवार अभ्यास
- कमजोर टॉपिक विश्लेषण

- रैंक प्रेडिक्टर
- टेस्ट प्रैक्टिस

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए **hello@toppersnotes.com** पर मेल करें या **766 56 41 122** पर whatsapp करें।

प्राचीन भारत का इतिहास

संकल्पनाएँ, विचार और शब्दावलियाँ

भारत के पुरा प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास को समझने के लिए आवश्यक है कि हमें उसकी शब्दावली और संकल्पनाओं का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो, अन्यथा हम इतिहास के रहस्यों को समझने में असमर्थ रहेंगे।

भारतवर्ष

- प्राचीन समय में भारतवर्ष उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तथा पूर्व में असम की सीमा तक विस्तृत था।
- वस्तुतः यह एक उपमहाद्वीप की तरह था जिसमें वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि के क्षेत्र समाहित थे, यही क्षेत्र 'भारतवर्ष' के नाम से विख्यात था।
- ऐसा माना जाता है कि दुष्यन्त के पुत्र 'भरत' के नाम पर इसका नाम 'भारत' पड़ा और कुछ विद्वान् इसे जम्बूद्वीप का एक भाग मानते हैं।
- बौद्ध ग्रन्थों में जम्बूद्वीप को उस भू–भाग की संज्ञा दी गई थी, जहाँ पर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में महान् मौर्य वंश का शासन था।
- ईरानियों ने इस देश को 'हिन्द' या 'हिन्दुस्तान' कहा जबकि यूनानियों ने इसे 'इण्डिया' का नाम दिया।
- चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत का तत्कालीन नाम 'ब्रह्मराष्ट्र' बताया है।

सभा समिति

- सभा एवं समिति कबायली जनतान्त्रिक संस्थाएँ थीं जिनका वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है।
- यह आर्यों की एक संगठनात्मक इकाई थी जो तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक निर्णयों का निर्धारण करती थी।
- अथर्ववेद में सभा–समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। सभा के संगठन में कुछ गिने–चुने लोग (सम्भ्रान्त) ही भाग लेते थे और इसका मुख्य कार्य न्याय करना था।
- समिति एक जनसाधारण की संस्था थी जिसमें उस क्षेत्र के सभी निवासी भाग लेते थे।
- सभा आधुनिक राज्य सभा के समान थी, जबकि समिति लोक सभा के समान थी।
- समिति मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना था और इसी कारण राजा (राजन) इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। अर्थात् इसके अध्यक्ष को 'ईशान' कहा जाता था।
- समिति राजा को पदच्युत भी कर सकती थी।
- वैदिक काल में सभा एवं समिति दोनों में महिलाएँ भाग लेती थीं परन्तु बाद में सभा में उनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया।
- ये कबायली संस्थाएँ अपनी उपयोगिता बाद के काल में खोने लगीं जिससे उनका लोप हो गया।

वर्णाश्रम

- प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था।
- प्रारम्भ में कबायली समाज (ऋग्वैदिक) तीन समूहों में विभाजित था – योद्धा, पुरोहित, सामान्यजन
  - यह विभाजन पेशे पर (कर्म पर) आधारित था।

- चौथा विभाजन अर्थात् शूद्र ऋग्वैदिक काल के अन्त में हुआ जिससे उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
    - इस काल में सम्पूर्ण समाज चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया।
    - ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पुरुषसूक्त में चातुर्वणीय विभाजन का उल्लेख मिलता है।

वेदान्त

- वेदान्त ज्ञानयोग की एक शाखा है, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है।
- इसका मुख्य स्रोत उपनिषद् है, जो वेद ग्रन्थों और अरण्यक ग्रन्थों का सार समझाते हैं।
    - उपनिषद् वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग है, इसलिए इसको वेदान्त कहते हैं।
- कर्मकाण्ड और उपासना का मुख्यतः वर्णन मन्त्र और ब्राह्मणों में है, ज्ञान का विवेच्य उपनिषदों में वेदान्त का शाब्दिक अर्थ है– 'वेदों का अन्त'।
- वेदान्त की तीन शाखाएँ जो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, वे हैं – अद्वैत वेदान्त, विशिष्टाद्वैत और द्वैत।

पुरुषार्थ

- प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन को नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए 'पुरुषार्थ' नाम से अपने दार्शनिक विचारों का नियोजन किया।
- सर्वप्रथम पुरुषार्थ के अन्तर्गत धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या की गई, बाद में इसमें 'मोक्ष' को भी शामिल किया गया।
- धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक ये चार पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को आधार प्रदान कर उसे गरिमा–मण्डित करते हैं और उसमें निवृत्तिमूलक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

ऋण

- प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तीन ऋण के साथ जन्म लेता है, ये तीन ऋण हैं –
  1. देवऋण 2. ऋषिऋण 3. पितृऋण।
- ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए।
- धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषिऋण,
- यज्ञादि करने से देवऋण,
- सन्तानोत्पत्ति के द्वारा पितृऋण से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है अर्थात् इससे व्यक्ति को धर्मानुकूल आचरण करने में सहायता मिलती थी।

संस्कार

- प्राचीन काल में यह माना गया था कि मनुष्य जन्मना असंस्कृत होता है।
- संस्कारों के बाद वह शुद्ध, परिष्कृत तथा संस्कृत हो जाता था। इन्हीं उद्देश्यों के निमित्त संस्कारों का विधान किया गया था।
- संस्कारों की संख्या को लेकर विभिन्न धर्मसूत्रों में अलग–अलग विवरण प्राप्त हैं;
    - जैसे – गौतम ने 40, वैखानश ने 18 तथा मनु ने 13 संस्कार बताए हैं। परन्तु सामान्य तौर पर संस्कारों की संख्या 16 ही मानी गई है।
    - ये संस्कार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं।

यज्ञ

- प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुष्य के लिए यज्ञ का महत्त्व बताया गया है।
- यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो देवताओं की पूजा एवं स्तुति जाता था।
- वैदिककालीन आर्य गृहस्थों को पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़त लिए किया था।
- ये पाँच महायज्ञ इस प्रकार हैं –

  1. देवयज्ञ 2. पितृयज्ञ 3. ऋषियज्ञ 4. भूतयज्ञ 5. अतिथि यज्ञ
  - इन यज्ञों का निष्पादन प्रारम्भ में बहुत सरलता से होता था, परन्तु बाद में अत्यन्त जटिल कर्मकाण्ड बन गए।
- राजाओं द्वारा भी यज्ञ किए जाते थे, जो इस प्रकार थे –

  1. राजसूय यज्ञ 2. अश्वमेघ यज्ञ 3. वाजपेय यज्ञ 4. अग्निष्टोम यज्ञ 5. पुरुषमेध यज्ञ आदि।

गणराज्य

- गणराज्य (रिपब्लिक) सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक 'सार्वजनिक मामला' माना जाता है न कि शासकों की निजी संस्था या सम्पत्ति।
- एक गणराज्य के भीतर सत्ता को प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है, जिसके अन्तर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता।
- गणराज्य की परिभाषा का विशेष रूप से सन्दर्भ सरकार के एक ऐसे रूप से है, जिसमें व्यक्ति नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस राज्य का सन्दर्भ संवैधानिक गणराज्य से है।
- वर्ष 2017 तक दुनिया के 201 सम्प्रभु राज्यों में से 149 अपने अधिकारिक नाम के हिस्से में रिपब्लिक शब्द उपयोग करते हैं।
- गण जनता, ''राज्य'' रियासत देश, एक ऐसा देश होता है, जहाँ के शासनतन्त्र में सैद्धान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है।

जनपद

- प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को जनपद कहते थे।
- उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है।
- बौद्ध ग्रन्थों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है।
- आर्य सबसे प्रभावशाली जाति थी और ये अपने आपको 'जन' कहते थे। इसने एक नई परिभाषा दी 'जनपद' जिसमें जन का मतलब लोग और पद का मतलब 'चरण' था।

कर्म का सिद्धान्त

- कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन उपनिषदों से माना जाता है।
- उपनिषदों के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही जीवन प्राप्त करता है अर्थात् अपने पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार ही आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है।
- वृहदारण्यक उपनिषद् में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख है कि “मनुष्य जैसा करता है उसे वैसा ही जीवन प्राप्त होता है अर्थात् कर्म के अनुसार ही फल मिलता है।”

दण्डनीति / अर्थशास्त्र

- कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र सम्भवतः विश्व का प्रथम राजनीतिक ग्रन्थ है।
  - कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि अन्य नामों भी जाना जाता है।
- अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण (भाग), 180 प्रकरण (उपभाग) तथा 6000 श्लोक हैं जिसमें राजा तथा उसके कर्त्तव्यों, दण्डनीति, राजनीति आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।
- इसके अलावा इसमें राज्य, राज्य के तत्त्व, राजा की स्थिति, उसके अधिकार, युद्ध एवं शान्ति के समय राजा का कर्त्तव्य, प्रशासन, गुप्तचर एवं न्याय, सैन्य व्यवस्था इत्यादि पर विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है। इसके राज्य के आर्थिक आधार एवं सामाजिक, धार्मिक अवस्था इस ग्रन्थ में मिलती है।

धर्म विजय

- मौर्य सम्राट अशोक ने 'युद्ध विजय' के स्थान पर **'धर्म विजय'** (धम्म विजय) की नीति अपनाई थी।
- अशोक द्वारा शस्त्र, सेना व संहार का बहिष्कार कर धम्म द्वारा विश्व विजय की घोषणा की गई जिससे विश्व शान्ति की स्थापना हो सके।
- अशोक का धम्म न तो एक नया धर्म था और न ही एक नया राजनैतिक दर्शन। यह जीवन की एक पद्धति तथा लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली आचार संहिता तथा सिद्धान्तों का समुच्चय था।
- दरअसल अशोक ने मानव कल्याण के लिए जिन सिद्धान्तों का विकास और प्रचार–प्रसार किया, वह इतिहास में धम्म के नाम से विख्यात है। इसके लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की।

स्तूप / चैत्य स्तूप

- स्तूप तथा चैत्य बौद्ध धर्म से सम्बन्धित प्राचीन भारतीय स्थापत्य विरासत हैं।
- स्तूप एक गोल आधार पर अवलम्बित ईंट अथवा पत्थर से बनी ठोस गुम्बदाकार आकृति है जिसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध अथवा किसी महान् बौद्ध भिक्षु के अवशेषों को सुरक्षित रखना अथवा बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण स्मृति को सुरक्षित रखना था अर्थात् स्तूप अवशेषों (शारीरिक वस्त्र आदि) को रखकर बनाया जाता था।
- स्तूपों में सर्वोत्तम साँची का स्तूप है।
- पर्वतों की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएँ, जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, चैत्य कहा जाता है।
  - अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इस प्रकार की गुफाएँ बौद्ध एवं आजीवक सम्प्रदाय के भिक्षुओं के लिए निर्मित करवाई थीं। कार्ले का चैत्य अपने वास्तु सौन्दर्य के लिए विख्यात है।

विहार

- बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल या उपासना स्थल मठों को विहार कहते हैं।
- विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है। विहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। उच्च शिक्षा में धार्मिक के अतिरिक्त अन्य विषय भी शामिल थे और इसका केन्द्र बौद्ध विहार ही था।

नागर / द्रविड़ / बेसर

- नागर, द्रविड़ तथा बेसर ये तीनों प्राचीन काल तथा पूर्व मध्यकाल में प्रचलित मन्दिर स्थापत्य की शैलियाँ हैं।
- क्षेत्र विशेष में इसका विकास हुआ।
  - जैसे नागर शैली का विकास उत्तर भारत में
    - नागर शैली के मन्दिरों का निर्माण एक ऊँचे चबूतरे पर किया जाता था।
    - इसकी शैली पंचायतन है।
    - चन्देल राजाओं ने इस शैली को प्रोत्साहन दिया जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण खजुराहो का कन्दरिया महादेव का मन्दिर है।

- द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में तथा
  - द्रविड़ शैली का विकास मुख्यतः पल्लव तथा चोल राजाओं के काल में हुआ।
  - इस शैली में नीचे का आधार चौड़ा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, जिसे 'विमान' कहा जाता है।
  - इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजा राज द्वारा निर्मित तन्जौर का वृहदेश्वर मन्दिर है।
- बेसर शैली का विकास विन्ध्याचल श्रेणी तथा कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में (दक्कन भारत) हुआ।
  - नागर तथा द्रविड़ शैली की विशेषताओं का सम्मिश्रण बेसर शैली में पाया जाता है।
  - चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित एहोल का मन्दिर बेसर शैली का प्रमुख उदाहरण है।

बोधिसत्व/तीर्थंकर

- बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है जो महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों में से एक था।
  - बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व परम ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति है, जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है तथा अपने प्रयासों से दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने में सहायता देता है।
  - प्रमुख बोधिसत्व इस प्रकार हैं– अवलोकितेश्वर, मन्जूश्री, वज्रपाणि, मैत्रेय, क्षितिग्रह, अमिताभ
- जैन धर्म से सम्बन्धित उच्चतम पद प्राप्त जैन पुरुष 'तीर्थंकर' रूप में विख्यात है जिन्हें 'जिन' भी कहा जाता था, जिसका अभिप्राय विजेता होता है।
  - जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का विवरण प्राप्त होता है।
  - पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे तथा अन्तिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये सभी क्षत्रिय थे।
  - प्रत्येक तीर्थंकर के साथ उनके प्रतीक भी होते थे –
    - जैसे– ऋषभदेव का प्रतीक साँड,
    - अजितनाथ का हाथी,
    - सम्भवनाथ का घोड़ा,
    - पार्श्वनाथ का सर्प,
    - महावीर का सिंह आदि।

अलवार/नयनार

- दक्षिण भारत में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने वाले अलवार (12) तथा नयनार (63) सन्त थे।
- अलवार सन्त मुख्यतः विष्णु भक्त थे तथा नयनार सन्त शैव मत को मानने वाले थे।
- इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्थन को मोक्ष प्राप्ति का प्रत्यक्ष मार्ग बताया।
- इन्होंने समाज और धर्म में व्याप्त रूढ़ियों और कर्मकाण्डों की भर्त्सना की।
- इन्होंने जातिभेद, ऊँच–नीच, अमीर–गरीब, अछूत, पाण्डित्य आदि को नकार दिया। अपने उपदेशों तथा रचनाओं को इन्होंने स्थानीय भाषा (तमिल) में दिया।
- अलवार तथा नयनार सन्तों में मुख्यतः निम्न वर्ग के लोग भी थे। कुछ स्त्रियाँ (अण्डाल) भी इनमें शामिल थीं।
- अलवार सन्तों में रामानुजाचार्य का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जो सर्वसुलभ थी। इस परम्परा को रामानन्द ने आगे बढ़ाया जिनके शिष्यों में कबीर, नानक, सेना, रैदास आदि निम्न जाति के लोग शामिल थे जो सगुण तथा निर्गुण दोनों मार्गी थे।

श्रेणी

- प्राचीन भारत में व्यवसायी वर्गों की संस्था श्रेणी या गिल्ड थी जिनका विकास मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक हुआ जब भारत का व्यापार और वाणिज्य उत्कर्ष पर था।
- श्रेणी व्यवस्था आमतौर पर गाँव तथा शहरों में थी जिसमें विशिष्ट व्यवसाय के लोगों का समूह होता था।
- निगम तथा पुग भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था थी जिनका स्थान विशेष से सम्बन्ध था जैसे 'निगम' शहर की संख्या तथा 'पुग' गाँव की संस्था थी या एक पेशे वालों की।
- श्रेणियों के अपने नियम कानून होते थे जिनमें प्रायः राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था।
- मुख्य रूप से यह संस्था आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती थी परन्तु अपनी सुरक्षा के लिए इनके पास सैनिक अस्त्र शस्त्र, यातायात के साधन भी होते थे।
- इनकी बैंकिंग प्रणाली भी थी, जो शिल्पकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती थी।
- धार्मिक क्रियाकलापों में भी इनका योगदान था। मन्दसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा मन्दिर का प्रबन्धन जैसे कई उदाहरण हैं।
- जैन धर्म के विकास में इस संस्था का विशेष योगदान था।

भूमि छिद्र विधान न्याय

- भूमि उस व्यक्ति से नहीं छीनी जा सकती है और उस भूमि के वास्तविक स्वामी का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है, किन्तु ऐसा अधिकार उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो जाता है, जो उस स्थान का उपभोग उस सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के एक मित्र अथवा एक रिश्तेदार के रूप में कर रहा है।
- इसी प्रकार कोई राजमन्त्री या कोई ज्ञानी ब्राह्मण किसी भूमि पर वैधानिक स्वायत्ताधिकार केवल इसलिए नहीं रख सकता कि वह भूमि पर एक लम्बे समय से कब्जा रखे हुए है। (बृहस्पति 744–46), नारदस्मृति (1–315) और बृहस्पति स्मृति (754) दोनों के अनुसार, यदि किसी सम्पत्ति का उपयोग तीन पीढ़ियों के द्वारा किया जा चुका है और चौथी पीढ़ी उसका उपयोग करने लगती है, तब उस भूमि में जुड़े वैधानिक स्वायत्त अधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता और उस भूमि को उनसे नहीं छीना जा सकता है।

कर/विष्टि

- कर का मुख्य आशय राजस्व से है, जो प्राचीन काल में अलग–अलग नाम से जाना जाता था जैसे– उत्तर वैदिक काल में भाग, मौर्य काल में प्रणय, गुप्तकाल में उदंग्र, उपशिक आदि।
    - कर की प्राप्ति मुख्य रूप से भू–राजस्व से होती थी। शासक वर्ग स्वयं को भूमि का स्वामी होने के बदले इसे किसानों से वसूलते थे।
    - सामन्त काल में भू–राजस्व की वसूली सरदार करते थे।
    - अन्य करों में चुंगी (व्यापार कर), सिंचाई कर, यातायात कर आदि लिया जाता था।
- विष्टि मुख्यतः गुप्तकाल में प्रचलित हुई जिसका उपयोग राजा, सामन्त, भूमिपति, सरदार तथा अन्य कुलीन वर्गों द्वारा किया जाता था।
    - यह ऐसी प्रथा थी जिसमें बिना पारिश्रमिक चुकाए श्रम लिया जाता था।
    - मुख्यतः बड़े भू–स्वामी अपने रैयतों से अपनी भूमि पर बेगार कराते थे।
    - यह प्रथा आधुनिक काल तक चलती रही।
    - साहूकार और कम्पनी भी शिल्पियों, कारीगरों से विष्टि लिया करते थे जिसे स्वतन्त्र भारत के संविधान के द्वारा (मौलिक अधिकार में) शोषण पर रोक लगा दी गई।

भोग–भाग

- जिस भूमि पर राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी उस पर सिंचाई कर लिया जाता था, जो 'भाग' कहा जाता था।
- 'भाग' उपज का 1/10 भाग होता था। यदि कृषक अपनी भूमि पर शाक–सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था, तो उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था, जिसे 'भोग' कहा जाता था।

स्त्रीधन

- हिन्दू विवाह संस्कार में स्त्रीधन का भी प्रचलन था जो किसी भी पुत्री को उसके पिता, भाई, अन्य परिजनों द्वारा उपहार स्वरूप मिलता था। उस धन पर केवल स्त्री का ही अधिकार बनता था।
- ऋग्वेद और महाभारत में जुए में स्त्रीधन के लगाने का प्रमाण मिलता है जिसकी स्मृतिकारों ने निन्दा की है।
- स्मृतिकारों ने स्त्रीधन के उत्तराधिकारी की अलग–अलग व्याख्या की है। सामान्यतः इस पर पुत्री का अधिकार माना जाता था।
- आपद काल में इसका प्रयोग करना उचित समझा गया है। स्त्री द्वारा इसका प्रयोग पति की आज्ञानुसार ही किया जाता था।
- यह धन स्वेच्छा से दिया जाने वाला धन था। कालान्तर में इसकी प्रथा दहेज के रूप में प्रचलित हो गई जिसने एक विकृत पारम्परिक रूप धारण कर लिया।

स्मारक प्रस्तर (पत्थर)

- स्मारक प्रस्तर में किसी की स्मृति में पत्थर की शिला को स्थापित किया जाता था।
- प्राचीन काल में यह स्मृति लिपिबद्ध की जाती थी, परन्तु बाद में स्मारक पत्थर राजाओं, देवी–देवताओं की मूर्ति के साथ जोड़ी जाने लगी।
- संगम युग में वीरों की स्मृति में भी स्मारक प्रस्तर लगाए जाते थे।
- मौर्य राजा अशोक ने अपने राज्यादेशों को प्रजा के लिए स्मारक प्रस्तर पर खुदवाया था।
- कालान्तर में कुषाण, गुप्त, हर्ष आदि राजाओं ने भी स्मारक प्रस्तर लगवाए जिससे हमें उनके वंश, कालक्रम, कार्य, उपदेश आदि के सन्दर्भ में पता चलता है।
- वास्तव में ये पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रमुख अंग हैं, जो वर्षों के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखे हैं।

अग्रहार

- प्राचीन काल में राजाओं और भू–स्वामियों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि 'अग्रहार' कहलाती थी।
- यह कर मुक्त भूमि होती थी जिस पर प्राप्तकर्ता का सम्पूर्ण अधिकार होता था।
- यद्यपि पहले यह ब्राह्मणों को प्राप्त होती थी, परन्तु बाद में धार्मिक संस्थाओं, मन्दिरों तथा अन्य लोगों को भी दी जाने लगी।
- अग्रहार दान की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल से शुरू हुई।
- इस प्रकार के दान का मुख्य उद्देश्य था– शिक्षा, धर्म को बढ़ावा देना परन्तु कालान्तर में इसने सामन्तवाद के विकास को बढ़ावा दिया।

आइन ए दहसाला

- यह मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई 'भू–राजस्व व्यवस्था' की पद्धति थी।
- अकबर के शासन काल में 1571 से 1580 ई. (10 वर्षों) के आँकड़ों के आधार पर भू–राजस्व का औसत निकालकर 'आइन–ए–दहसाला' प्रणाली को लागू किया गया था।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत राजा टोडरमल ने अलग–अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्षों का औसत निकालकर उसे औसत का एक तिहाई भू–राजस्व के रूप में निश्चित किया है।

परगना

- मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बाँटा था।
- सम्पूर्ण साम्राज्य सूबों में विभाजित था। अकबर काल में इनकी संख्या 15 थी।
    - सूबों का विभाजन परगना में किया गया था जिसके अन्तर्गत कई सरकार (जिले) आते थे।
- परगना की शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य शिकदार करता था।
- परगना स्तर पर राजस्व का कार्य आमील नामक अधिकारी करता था।
- अकबर द्वारा जब्ती प्रणाली को परगना स्तर पर ही लागू किया गया था जिसका मुख्य राजस्व का कार्य आमील ही देखता था।
- परगना स्तर पर कानून की देखभाल कानूनगो देखता था।
- फोतदार (खजांची) तथा कारकून भी परगना स्तर के कर्मचारी थे। इस प्रशासनिक इकाई का ढाँचा शेरशाह ने शुरू किया था जिसमें थोड़ी फेर–बदल के साथ इसे मुगलों ने अपनाया।

शाहना–ए–मंदी

- अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियन्त्रण व्यवस्था में शाहना–ए–मण्डी एक प्रमुख वस्तु अधिकारी था जो बाजार मूल्य, व्यापारियों की गतिविधि, माप–तौल, की किस्म आदि बाजार गतिविधियों पर नियन्त्रण रखता था जो दीवाने रियासत के अन्तर्गत कार्य करता था। इसके अन्तर्गत वे बाजार का निरीक्षण किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति को सफल बनाने में इस अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी।
- सराय–ए–अदल में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत पर नियन्त्रण रखने में शाहना–ए–मण्डी की प्रमुख भूमिका थी।

महालवाड़ी

- महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 'हॉल्ट मैकेंजी' द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव को 1822 ई. के रेग्यूलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया।
- महालवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था।
- यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई।
- इस व्यवस्था के अन्तर्गत भू–राजस्व का समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे महाल (गाँव) के साथ किया गया था।

हिन्द स्वराज

- हिन्द स्वराज गाँधी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है।
- मूल रचना वर्ष 1909 में गुजराती भाषा में थी।

- यह लगभग तीस हजार शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गाँधी जी ने अपनी इंग्लैण्ड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी।
- यह इण्डियन औपिनियन में सबसे पहले प्रसारित हुई जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबन्धित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है।

वाणिज्यवाद या वणिकवाद

- वाणिज्यवाद एक आर्थिक सिद्धान्त है जो 1500 से 1800 ई. के बीच यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय रहा।
- वाणिज्यवाद शब्द का आविष्कार इंग्लैण्ड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया जिसके सिद्धान्त के मूल में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। इसमें सोने–चाँदी के टुकड़े जिसे बुलियन कहते हैं, के संग्रह पर बल दिया जाता है, जिसे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसके लिए वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन तथा आयात को निरुत्साहित किया जाता था, क्योंकि वस्तुओं के निर्यात के बदले दूसरे देशों से बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करना था।
- इसी सिद्धान्त के तहत यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों की स्थापना की।

आर्थिक राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता

- अपने देश के हित में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना ही आर्थिक राष्ट्रवाद है जिसका उपयोग यूरोपीय देशों ने अपने देश के मालों का निर्यात कर आर्थिक लाभ कमाने में किया। दूसरी ओर अपनी नीतियों द्वारा आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय आरम्भिक कांग्रेस के नेता दादाभाई नौरोजी अन्य देश के व्यापार और वाणिज्य को नष्ट करने का काम किया। भारत द्वारा प्रारम्भ किया जिन्होंने अपनी रचना इंग्लैण्ड डेब्ट टू इण्डिया में अपने देश के आर्थिक हितों को ब्रिटेन द्वारा चोट पहुँचाने को उजागर किया जिससे लोगों में आर्थिक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। यहीं से भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन्हें (दादाभाई नौरोजी) ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इण्डिया कहा जाता है।

खिलाफत

- हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों में उत्तराधिकारी का बँटवारा हुआ। सर्वप्रथम अबुबकर खलीफा बने। इस खलीफा के शासन को ही खिलाफत कहा जाता है। मुख्यतः खलीफा की आध्यात्मिक सत्ता को ही खिलाफत कहते हैं।
- मध्यकाल में सुल्तानों द्वारा ही अपनी सत्ता की वैधानिकता प्राप्त करने के लिए खलीफाओं से मंसूर प्राप्त करना पड़ता था।
- विश्व के सभी मुस्लिम शासकों द्वारा यह परम्परा अपनाई जाती थी।
- खिलाफत को मंगोलों द्वारा नष्ट कर दिया गया।
- आधुनिक काल में प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की में खलीफा का शासन पुनः समाप्त कर दिया गया जिसके विरोध में भारतीय मुसलमान वर्ग ने भी खिलाफत आन्दोलन किया।

सुलह–ए– कुल

- यह अकबर द्वारा अपनाई गई शान्ति की नीति थी जिसका प्रतिपादन उसके दरबारी अबुल फजल तथा फैजी द्वारा किया गया।
- अकबर ने राजत्व का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसमें ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएँ किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं हैं उसी तरह बादशाह के उत्तम शासन का लाभ भी सभी को प्राप्त होना चाहिए तभी वह न्यायप्रिय शासक माना जाएगा अर्थात् सुलह–ए–कुल की नीति 'सभी प्रजा के लिए शान्ति और सद्भाव अपनाना चाहिए' है।

- इस नीति के अनुसार बादशाह भी ईश्वर का प्रतिरूप माना गया है।
- इस नीति का अनुसरण करते हुए अकबर ने अपनी धार्मिक नीति बनाई।
- इसका मुख्य उद्देश्य शिया, सुन्नी, हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्म के लोगों में साम्प्रदायिक सौहार्द्र लाना था।

तुर्कान–ए–चहलगानी

- सल्तनत काल में इस गुट की निर्णायक भूमिका थी।
- तुर्कान–ए–चहलगानी जो 40 तुर्क सरदारों का गुट था।
- इल्तुतमिश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य प्रशासन में उनकी सहायता प्राप्त करना था। इन तुर्क अमीरों के पास सैन्य शक्ति भी थी।
- इल्तुतमिश की सत्ता स्थापना और सुदृढ़ीकरण में इन तुर्क सरदारों का सहयोग रहा, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को चहलगानी के विरोध का सामना करना पड़ा। धीरे–धीरे इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की सत्ता को ये चुनौती देने लगे।
- बलबन जब सुल्तान बना तो इस गुट को विनष्ट कर दिया गया।

वतन

- मुगलकाल में आनुवंशिक जमींदारों को सामान्य रूप से दी जाने वाली भूमि को 'जागीर–ए–वतन' कहा जाता था अर्थात् यह मुगलकाल में हिन्दू राजाओं को प्रदत्त एक प्रकार की जागीर थी, जो वंशानुगत थी।
- यह हिन्दू जमींदारों को वेतन के रूप में दी जाती थी और इसका हस्तान्तरण नहीं होता था। इसके बदले ये जमींदार मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार करते तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता देते थे।

बलूता

- मध्यकाल में पश्चिम भारत और दक्कन में प्रचलित एक प्रणाली थी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के अनाज तथा फल–फूल के उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा, जिसे बलूता कहा जाता था, लगभग 12 ग्रामीण सेवकों तथा शिल्पकारों के जीवन निर्वाह के लिए निर्धारित किया जाता था। इन सेवकों तथा शिल्पकारों को बलूतादार कहा जाता था।

तकावी

- मध्यकाल में उद्यमी वस्तु निर्माण और विशेषकर कपड़ों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल जुटा सकने में समर्थ था।
- कृषि के प्रसार और सुधार के लिए मुगल राज्य किसानों को प्रोत्साहन और ऋण (तकावी) भी प्रदान करता था।
- सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु किसानों को तकावी नामक ऋण दिया, जिसे सौन्धर कहा जाता था।

इक्ता

- इल्तुतमिश ने 'इक्ता' प्रणाली प्रारम्भ की, जिसका अर्थ धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना था।
- इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर फारस (ईरान) क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में हो चुकी थी।
- भारत में पहली इक्ता मुहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी (हरियाणा) क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया था।

जजिया

- भारत में सर्वप्रथम जजिया कर अरबों द्वारा लगाया गया था।
- यह शरीयत में वर्णित चार प्रमुख करों– खुम्स, जजिया, जकात तथा उश्र में से एक है।
- जजिया तथा खुम्स दोनों धर्मनिरपेक्ष कर थे, जो गैर–मुसलमानों से वसूल किए जाते थे।
- जजिया का अर्थ मुआवजा होता है जिनसे वसूल किया जाता था, वे 'जिम्मी' कहलाते थे।
- इसकी वसूली का आधार सुरक्षा प्रदान करना था, जो लोग सैनिक सेवा नहीं देते थे उनकी सुरक्षा का भार मुसलमानों पर था या राज्य पर था। अतः उनकी सुरक्षा के एवज में जजिया वसूल किया जाता था।
- ब्राह्मण, स्त्रियों, बच्चों तथा अनाथ, अन्धों, विधवा आदि से यह कर नहीं वसूल किया जाता था।
- अकबर ने जजिया कर 1564 ई. में हटा दिया था जिसे पुनः औरंगजेब द्वारा 1679 ई. में लगा दिया गया।
- फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया।
- कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जजिया संग्रह का कार्य ब्राह्मण वर्ग द्वारा ही सम्पादित किया जाता था। अतः उन्हें जजिया से मुक्त रखा जाता था।

जकात

- जकात इस्लाम में एक प्रकार का 'दान देना' है, जिसको धार्मिक रूप से जरूरी और कर के रूप में देखा और जाना जाता है।
- इस्लाम के अनुसार सलात या नमाज के बाद जकात ही का मुकाम है, इस्लाम धर्म के अनुसार जकात पाँच मूल स्तम्भों में से एक माना जाता है और हर मुसलमान को अपने धन में से जकात की अदायगी जरूरी है।

मदद–ए–माश

- शासकों द्वारा शिक्षा, धर्म, विद्वान् आदि को पोषण के लिए जो भूमि दान दी जाती थी, उसे मध्यकाल में 'मदद–ए– माश' कहते थे।
- प्राचीन काल में इसे अग्रहार नाम से जाना जाता था।
- सल्तनत काल में फिरोजशाह तुगलक ने मदद ए माश भूमि का वितरण किया।
- मुख्यतः परती भूमि जो कृषि योग्य थी परन्तु इस पर कृषि कार्य नहीं होता था, को दान में दिया जाता था।
- भूमि ग्राही का उस भूमि के राजस्व पर अधिकार होता था। राज्य द्वारा वहाँ से अपना हिस्सा नहीं माँगा जाता था। अधिकांशतः यह भूमि वापस भी नहीं ली जाती थी, परन्तु अलाउद्दीन खिलजी के काल में इन भूमियों को खालसा भूमि में परिवर्तित करने का कुछ अपवाद अवश्य मिलता है।

अमरम

- अमरम भूमि भी एक प्रकार की दान भूमि थी, जो विजयनगर शासकों द्वारा अपने सेनानायकों को प्रदान की जाती थी।
- इक्ता प्रणाली की तरह ही वेतन के बदले में अधिकारियों (सैनिक) को भूमि के राजस्व प्रदान किए जाते थे। इसके राजस्व से सेनानायक एक सैन्य टुकड़ी रखता था।
- अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण उन्हें 'अमरनायक' कहा जाता था। अमरनायकों की स्थिति सैनिक सामन्त जैसी थी जो केन्द्रीय राजस्व का अंश चुकाकर उस भूमि पर अपना प्रशासनिक और सैनिक नियन्त्रण रखते थे। राज दरबार में सेवा के लिए उपस्थित होते थे। बाह्य आक्रमण के समय ये अपनी सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे, परन्तु सामन्तों की तरह इनका भूमि पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था।

राय रेखो

- यह विजयनगर साम्राज्य में भूमि मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक मानक था। भूमि की पैमाइश नियमित की जाती थी। उनकी पहचान के लिए पत्थर गाड़े जाते थे ताकि बार–बार पैमाइश करने की आवश्यकता न पड़े।
- विजयनगर के शासकों द्वारा भूमि मापन द्वारा उपज का वास्तविक निर्धारण कर के रूप में करने के लिए किया जाता था जिससे भू–राजस्व की वसूली में पारदर्शिता बनी रहे।

जंगम

- लिंगायत सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों को जंगम कहते हैं।
    - लिंगायत जो शैव धर्म की ही एक शाखा है।
    - लिंगायत की स्थापना वासवराज ने की जिसमें शिवलिंग की उपासना की जाती है। उसे चाँदी के सम्पुट में रखकर गले में धारण किया जाता है।
    - इस धर्म का प्रचार गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक हुआ।
    - शैव धर्म को लोकप्रिय बनाने में लिंगायत भक्तों का प्रमुख योगदान है।

मदरसा

- इस्लाम धर्म में मदरसा का गठन उच्च शिक्षा (Higher Education) को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था।
- इसे सामान्यतः एक धार्मिक शिक्षा केन्द्र के रूप में देखा जाता है।
- भारत में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने अजमेर में अनेक मदरसों का गठन किया था।
- सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा–ए–मुईजी की स्थापना की।
- मदरसा में धार्मिक विषयों के साथ–साथ व्यावहारिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है।

मकतब

- मकतब प्रारम्भिक शिक्षा (Elementry Education) के केन्द्र होते थे।
- मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों को कण्ठस्थ करते थे। वे पढ़ना–लिखना, गणित और चिट्ठी पत्री लिखना भी सीखते थे।

शरियत

- इसे शरीया कानून और इस्लामी कानूनी भी कहा जाता है। यह इस्लाम के धार्मिक कानून का है।
- इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है।
    - पहली इस्लाम का धर्मग्रन्थ कुरान है और
    - दूसरा इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद द्वारा दी गई मिसालें हैं।

चौथ

- मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का कर (भू–राजस्व) था, जिसकी शुरुआत शिवाजी द्वारा की गई थी।
- चौथ एक ऐसा कर था, जो मराठा, बाह्य क्षेत्रों से वसूल करते थे।
- चौथ अदा करने वाले राजा (शासक) पर मराठों का आक्रमण नहीं होता था तथा उसकी सुरक्षा होगी, जब उस पर बाह्य आक्रमण होगा।
- यह अदाकर्ता राज्य की आय का 1/4 होती थी। इसका उपयोग मराठों द्वारा अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार हेतु किया गया। इससे मराठों की स्थिति सुदृढ़ हुई और राजनीतिक परिदृश्य में उनका महत्त्व बढ़ गया।

सरदेशमुख

- चौथ की तरह का एक प्रकार का राज कर जो मराठा शासनकाल में जनता पर लगता था।
- शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख (प्रधान मुखिया) होने के नाते और लोगों के हित करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार है।
- यह कुल भू–राजस्व का दसवां हिस्सा (1/10 भाग) होता था।

सर्राफ

- मध्यकाल में व्यापारिक गतिविधियों को सम्पन्न करने अथवा पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हुण्डी की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था में लगे विशेषज्ञों को सर्राफ (व्यापारी) कहा जाता था।
- सर्राफ सिक्कों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ रुपये के लेन–देन का भी विशेषज्ञ होता था। एक प्रकार से वह निजी बैंक की भाँति कार्य करता था।

सराय

- सराय मुख्य रूप से मुसाफिरों एवं राहगीरों के विश्राम करने का स्थल होता था, जो आधुनिक धर्मशाला के समान था।
- फिरोजशाह तुगलक ने जन–कल्याण को ध्यान में रखकर अनेक सरायों का निर्माण करवाया। इसने सड़क के किनारे अधिक संख्या में वृक्ष लगवाए।
- शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें हिन्दुओं एवं मुसलमानों को ठहरने (Guest House) के लिए अलग–अलग व्यवस्था होती थी।
- प्रत्येक सराय की देखभाल एक शिकदार नामक अधिकारी करता था।

पोलीगर

- विजयनगर साम्राज्य में जिन सेनापतियों को सेवा के बदले 'अमरम' जागीर दी जाती थी, उन्हें 'अमरनायक' अथवा 'पोलीगर' कहा जाता था अर्थात् सैनिक शासक अथवा नायक ही पोलीगर कहलाते थे।
- ये पोलीगर एक निश्चित संख्या में सैनिक, केन्द्रीय सेवार्थ रखते थे। कालान्तर में इनकी शक्ति बढ़ती गई और इन्होंने विजयनगर के पतन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

दास

- भारत में दास प्रथा का अस्तित्व प्राचीनकाल से ही माना जाता है।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नौ प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। प्रायः युद्ध में बन्दी बनाए गए लोगों को दास बनाया जाता था। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था।
- मध्यकाल में भी दास प्रथा विद्यमान थी। दासों से बेगार (बिना वेतन) लिया जाता था।
- फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दास इसने दासों की देखभाल हेतु एक पृथक् विभाग दीवान–ए–बंदगान का गठन किया था। इसके शासनकाल में दासों को कारखाना में उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु कार्य दिया जाता था।

जागीर

- मुगलकाल में 'जागीर' भूमि की एक इकाई थी, जिसे जागीर प्रदान की जाती थी, उसे जागीरदार कहा जाता था। वस्तुतः यह मनसबदारों को उनके वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। जिन मनसबदारों को नकद वेतन मिलता था उन्हें यह जागीर नहीं दी जाती थी। वेतन के रूप में प्रदत्त जागीर को वतन जागीर कहा जाता था।
- यह सल्तनतकालीन 'इक्ता' प्रथा जैसी ही थी। इसके प्राप्तकर्ता मनसबदार अपने क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के साथ–साथ केन्द्र को सैनिक सहायता आदि प्रदान करते थे।

दस्तूर

- मुगलकाल में दस्तूर कृषकों से किया गया एक अनुबन्ध होता था जिसके द्वारा शासकों एवं कृषकों के बीच आपसी तालमेल बना रहता था।
- इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि सम्बन्धी उपकरणों की क्षेत्रीय मूल सूचियाँ, कृषि पैदावार तथा लगान सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की जानकारी दी हुई होती थी।

मनसब (ओहदा)

- मनसब प्रणाली का उद्‌भव मध्यकाल में मध्य एशिया से हुआ था।
- मुगलकाल में यह प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी।
- मनसब का अर्थ पद–स्थान या ओहदा होता है जो व्यक्ति का ओहदा या पद सूचित है। मनसब प्राप्त व्यक्ति को 'मनसबदार' कहा जाता था। प्रायः यह मुगलकाल में अमीर वर्ग, सरदार, सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था।
- यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी।
- आइने अकबरी में 66 मनसबों की श्रेणियों का उल्लेख है लेकिन अबुल फजल केवल 33 मनसबों का ही विवरण देते हैं।
- इसका प्रयोग (मनसब) वेतन एवं भत्तों को निश्चित करने हेतु होता था।

देशमुख

- मध्यकाल में विशेषकर मराठों के अधीन ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख देशमुख होता था जो सम्पूर्ण ग्रामीण क्रियाओं हेतु जिम्मेदार था। इसे मुकद्दम, खुत, चौधरी आदि की भी संज्ञा दी जाती थी।
- ये आनुवांशिक हुआ करते थे तथा जागीरों, सम्पत्तियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड अपने पास रखते थे।
- स्थानीय जनता से कर वसूलकर उसे केन्द्रीय राजस्व में पहुँचाने का कार्य भी देशमुख ही करते थे।

नाडु

- यह चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई थी। सम्पूर्ण चोल साम्राज्य मण्डलां में विभाजित था जो प्रान्त स्तर के थे। मण्डलों को वलनाडु में (क्षेत्रीय) विभाजित किया जाता था।
- नाडु आधुनिक जिला स्तर की इकाई थी जिसका प्रशासन नट्टार नामक सभा द्वारा संचालित किया जाता था। यह जिला परिषद् की तरह कार्य करता था जिसमें उसके अन्तर्गत आने वाले सभी गाँव के प्रतिनिधि होते थे।
- इनका मुख्य कार्य राजस्व का प्रबन्धन करना था। इसे किसी भी प्रकार के भू–राजस्व में छूट देने का अधिकार था। यह मन्दिर प्रबन्धन का भी कार्य करती थी। कालान्तर में (विजयनगर) नायंकर और आमंकर व्यवस्था के कारण स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता बाधित हुई।

उर

- ये चोलकालीन ग्राम सभाएँ थी। इसका प्रशासन जनसभाओं द्वारा संचालित किया जाता था।
- यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सभी ग्रामवासी उर के सदस्य होते थे। उत्तरमेखर अभिलेख से प्राप्त ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। चोल शासक ग्राम प्रशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे।

उलेमा

- उलेमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन सम्बन्धी जिम्मेदारी निभाते थे।
- उलेमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरियत का पालन करवायेंगे।
- प्रायः उलेमा को काजी, न्यायाधीश, अध्यापक आदि के पदों पर नियुक्त किया जाता था।

फरमान

- राजकीय आज्ञा या शासनादेश को ही फरमान (Decree) कहा जाता है।
- फरमान का स्वरूप पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों था।
- मौर्य शासक अशोक द्वारा जारी किया गया शासकीय आदेश (अभिलेखों के द्वारा) पुरातात्विक फरमान का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- मध्यकाल में फरमान का साक्ष्य साहित्यिक रूप से मिलने लगा, जो लिखित रूप में होता था।
- उत्तर मुगल शासक फर्रूखशियर ने 1717 ई. में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापार में छूट प्राप्त हुई।

सत्याग्रह

- सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ 'सत्य' के प्रति आग्रह है।
- सत्याग्रह को महात्मा गाँधी ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध एक अचूक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था।
- असहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, अनशन और उपवास सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं।
- महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ई. में बिहार के चम्पारण जिले में किया।
- दूसरी बार इसका प्रयोग उन्होंने 1918 ई. में अहमदाबाद में किया एवं उसी वर्ष खेड़ा आन्दोलन के दौरान उन्होंने इसका तीसरी बार प्रयोग किया।

स्वदेशी

- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान 1905 ई. में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में आयोजित किए गए आन्दोलन को स्वदेशी आन्दोलन का नाम दिया जाता है।
- इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में भारतीय वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना था।
- स्वदेशी के प्रचार–प्रसार से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा भारतीयों को कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए।
- स्वदेशी आन्दोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया।

पुनः प्रवर्तनवाद

- पुनः प्रवर्तनवाद एक ऐसी विचारधारा है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होती है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान व लोगों के भौतिक जीवन में उन्नति होती है।
- 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण को 'नव जागरण', 'पुनः प्रवर्तनवाद' या पुनर्जागरण के नाम से सम्बोधित किया जाता है।
- भारत में इसके अग्रदूत राजा राममोहन राय थे।

सम्प्रदायवाद

- यह एक ऐसी विचारधारा है जो इस धारणा में विश्वास करती है कि कुछ लोग जो किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित भी समान होते हैं तथा उनके हित किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों से भिन्न होते हैं। इसमें विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाता है।
- दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इसमें वैयक्तिक हितों तथा विरोधों को सम्प्रदाय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के अन्तिम तीन दशकों में सम्प्रदायवाद अपने विकसित रूप में दिखाई पड़ता है जिसका परिणाम भारत का विभाजन है।

प्राच्यवाद

- यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई भी देश क्षेत्र, जनता, धर्म अपने अतीत के गौरव को स्मरण करता है। उनसे जुड़ी परम्परा, भाषा, साहित्य को प्रोत्साहन देता है।
- 19वीं सदी में भूमध्यसागरीय देशों में राष्ट्रीय भावना के उदय में प्राच्यवादी विचारों का प्रसार हुआ।
- 19वीं सदी में भारत के धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण में भी अतीत के गौरव का स्मरण किया गया।
- ब्रह्म समाज (उपनिषद्), आर्य समाज (वेदों), थियोसोफिकल सोसायटी आदि ने अपनी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा को नई चेतना के साथ जीवित किया जिसके प्रभाव से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में भी प्राच्यवादियों तथा आंग्लवादियों के बीच विवाद चला था जिसे मैकाले द्वारा समाप्त किया गया।

प्राच्य निरंकुशतावाद

- प्राच्य निरंकुशतावाद की अवधारणा कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय सरकारों द्वारा एशियाई देशों में स्थापित सरकार एवं समाज के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। यह एरिस्टोटेलियन राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। प्रबोधन के युग में प्राच्य निरंकुशतावाद एक नवीन विचारधारा थी।
- प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक माण्टेस्क्यू ने इस पर व्यापक बल दिया। जर्मन दार्शनिक हीगल के विचारों में प्राच्य निरंकुशतावाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। मार्क्स ने भी एशियाई उत्पादन सिद्धांत में भी इसका वर्णन किया है।

वि–औद्योगीकरण

- यह एक आर्थिक नीति है जो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपने आश्रित उपनिवेशों पर लागू की गई थी। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति होने के कारण इसने विश्व में अपने निर्मित मालों का प्रवेश किया। इसमें कच्चे मालों का आयात तथा निर्मित मालों का निर्यात करना मुख्य उद्देश्य होता था।

अपने मशीन निर्मित मालों को भारतीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए कई सहायक नीतियों को भी लागू किया जाता था। सस्ते दामों पर आयात, महँगे मालों को बेचना, विदेशी मालों पर अधिक कर लगाना जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ा। विदेशी वस्तुओं के भारत में प्रवेश ने उद्योगों को पीछे की ओर ढकेल दिया। उद्योग नष्ट हो गए तथा उनकी जगह नवीन उद्योग नहीं चल पाए। यही वि–औद्योगीकरण है।